[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या–22 एच०एल०ए०

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 2025

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2021 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) संशोधन अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2021 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:– 2022 के हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 2 का संशोधन।

'(घक) ''उद्यमी'' का वही अर्थ होगा, जो हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 (2016 का 6) में इसे दिया गया है;

(घख) ''उद्यम'' का वही अर्थ होगा, जो हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 (2016 का 6) में इसे दिया गया है; '।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:– 2022 के हरियाणा अधिनियम 5 में धारा 6क का रखा जाना।

''6क. अप्राधिकृत औद्योगिक स्थापना का नियमितीकरण.– अप्राधिकृत औद्योगिक स्थापना के नियमितीकरण के मामले में, उद्यमी/उद्यम से आवेदन प्राप्त करने हेतु आनॅलाइन पोर्टल बनाया जाएगा और आवेदक (आवेदकों) के विरूद्ध संस्थित की गई सभी दांडिक कार्रवाई, किसी विधि न्यायालय में अग्रेषित या लम्बित मामलों को छोड़कर, पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से लेकर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लेने तक निलंबित समझी जाएगी।

व्याख्याः– इस धारा के प्रयोजनों हेतु "अप्राधिकृत औद्योगिक स्थापना" से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक स्थापना की इकाई, जो लागू अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी से ऐसी इकाई को स्थापित करने हेतु अपेक्षित अनुमति प्राप्त किए बिना स्थापित की गई हो।"।

2022 के हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 13 का संशोधन।

4. धारा 13 के खण्ड (ग) का लोप कर दिया जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्र से बाहर नागरिक सुविधाओं और अवसंरचना की कमी वाले क्षेत्रों का प्रबंधन (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2021 राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों से बाहर स्थित नागरिक सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना था। कुल 684 आवासीय कॉलोनियों (अनधिकृत) को नियमित करने पर विचार किया गया था।

हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों के नियमितीकरण की घोषणा की। इसमें कहा गया है कि *"पिछले दस वर्षों में लगभग 2145 अनधिकृत आवासीय कॉलोनियों को नियमित किया गया है। अब समय आ गया है कि हम अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों पर भी इसी प्रकार ध्यान दें। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि यदि कम से कम 50 उद्यमी, जिनकी इकाइयाँ कम से कम 10 एकड़ सन्निहित भूमि पर स्थित हैं, सामूहिक रूप से एक पोर्टल पर आवेदन करते हैं, तो ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयों को सभी विभागों द्वारा तब तक वैध औद्योगिक इकाइयाँ माना जाएगा जब तक कि सरकार समूह के आवेदन पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेती।"*।

तदानुसार, उपरोक्त बजट घोषणा के अनुपालन में सरकार राज्य में विकसित अनधिकृत औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी समान ध्यान देना चाहती है, ताकि इन प्रतिष्ठानों को बुनियादी नागरिक सुविधाएँ और बुनियादी ढाँचा प्रदान किया जा सके। मानवीय आधार पर, ऐसे क्षेत्रों में स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम बुनियादी ढाँचा प्रदान करना राज्य सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है। इसलिए, उपर्युक्त के मद्देनजर, स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के लिए, यह प्रस्तावित है कि हरियाणा नगरपालिका क्षेत्र के बाहर नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों का प्रबंधन (विशेष प्रावधान) संशोधन विधेयक, 2025 नामक एक विधेयक अधिनियमित किया जा सकता है।

इसलिए यह विधेयक प्रस्तुत है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 21 अगस्त, 2025.

राजीव प्रसाद,
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 21 अगस्त, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबंध

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2021 से उद्धरण

[13 (ग) जहाँ कोई औद्योगिक इकाई स्थित है;]

* * * * *

12058–H.V.S.–H.G.P., Pkl.